

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1337/दो-9-2018-17(7)/2018
लखनऊ : दिनांक : ०४ जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0 को जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के पत्र दिनांक 11.05.2018 के साथ प्राप्त उनके आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(क)(बी) सपटित नियम-17(1)(क) के अधीन उनकी पुत्री के विवाह हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0-40489 से **रु0-14,00,000/- (रुपये चौदह लाख मात्र)** के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें **विशेष दशा** में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अक्षय उपलब्ध कराया जाय।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1337(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, फण्ड अनुभाग-24, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- पंजीकृत 3- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को उनके पत्र संख्या-135/वेतन सहायक-1अधि0 (सा0भ0नि0-स्थाई अग्रिम)/2018, दिनांक 11.05.2018 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, अम्बेडकरनगर की जी0पी0एफ0 पासबुक संख्या-आर0वी0यू0-40489 (मूलरूप में) सहित।
4- श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, पी.सी.एस., डिप्टी कलेक्टर, अम्बेडकरनगर।
5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1154/दो-9-2018-5(223)/2012
लखनऊ, दिनांक 08 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा श्री राजीव कुमार दुबे, समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश सचिवालय को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-77330 से एल0आई0सी0 प्रीमियम का व्यय वहन करने हेतु रू0-3,80,000/- (रूपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 के नियम संख्या-16(1)(घ) सपठित 17(1)(क) अन्तर्गत सामान्य दशा में दी जाती है। वर्तमान समय में इनका वेतन रू0-76,200/- प्रतिमाह है।

2- अन्तिम निष्कासन की धनराशि श्री राजीव कुमार दुबे के सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि से अधिक नहीं होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार दुबे ने अपनी सरकारी सेवा के 22 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और वर्ष 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।

3- श्री राजीव कुमार दुबे के खाते में 11.5.2018 तक रू0-8,16,841/- की धनराशि जमा है, उक्त धनराशि में रू0-13,992/- प्रतिबंधित है।

4- श्री राजीव कुमार दुबे, समीक्षा अधिकारी का उक्त आहरण लेखा शीर्षक 8009-राज्य भविष्य निधियाँ-01-सिविल-101-सामान्य भविष्य निधियाँ-02-अन्य अभिदाता के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-1154(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- नियुक्ति लेखा अनुभाग, उ0प्र0 शासन को दो प्रति सहित।
4- श्री राजीव कुमार दुबे, समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6- कम्प्यूटर आपरेटर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।